<u>कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल</u>

क्रमांक3211/अ–1एफ–309/परिपत्र क्रं.1/2002   भोपाल दिनांक 25.7.2002

परिपत्र क्रमांक 1/2002

विषयः– पेट्रोल/डीजल पम्प के जांच बाबत्।

पेट्रोल/डीजल पम्पों की जांच उड़न दस्तों के द्वारा समय–समय पर कराने पर यह पाया गया है कि बार–बार दिये गये निर्देशों के बावजूद भी निरीक्षकों द्वारा पेट्रोल/डीजल पंपों की जांच समय पर नहीं की जाती है, फलस्चरूप विक्रेता द्वारा पेट्रोल/डीजल कम मात्रा में प्रदाय किये जाने की शंका बनी रहती है। इसमें आम उपभोक्ताओं को ठगा जाना विभाग की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं जनता में विभाग, की छबि भी धूसिल होती है।

अतः उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से यह अति आवश्यक है कि मैदानी अधिकारी (निरीक्षक) प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उनके क्षेत्र में स्थित समस्त पेट्रोल/डीजल पम्प की आकस्मिक जांच आवश्यक रूप से कम से कम एक बार करेंगे तथा नियमानुसार सही पाये जाने की स्थिति में निरीक्षक सत्यापन प्रमाण पत्र पर पाई गई स्थिति के संबंध में टीप अंकित करेंगे तथा हस्ताक्षर मय दिनांक के करेंगे। यदि उपरोक्त निर्देशों के अवहेलना पाई गई तो उसे गंभीरता से किया जावेगा तथा कठोर कार्यवाही करते हुए दोषी निरीक्षक का निलंबन भी किया जा सकता है। शासन की भी यही मांग है कि इस कार्य में कोई लापरवाही न बरती जावें।

आशा है कि मैदानी अधिकारी ऐसा अप्रिय प्रसंग नहीं आने देंगे तथा नियमित प्रतिमाह जांच करते हुए प्रमाण पत्र में तद्नुसार अंकित करेंगे।

(पी.के. गुप्ता)
नियंत्रक
नाप तौल, मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रं. 3212 /नातौ/एफ–309/अ–(1)2002,   भोपाल दिनांक 25.7.2002

प्रतिलिपि :–

1. समस्त निरीक्षक नाप तौल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ, निर्देशों का कड़ाई से पालन हो।
2. समस्त उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, नाप तौल म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी अधीक्षक/स्टेनो मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।

(पी.के. गुप्ता)
नियंत्रक
नाप तौल, मध्यप्रदेश भोपाल